



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10122020-223645  
CG-DL-E-10122020-223645

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 543]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 10, 2020/अग्रहायण 19, 1942

No. 543]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 10, 2020/AGRAHAYANA 19, 1942

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2020

फा. सं. 15(1)2016/स्कूली बच्चे विनियम/प्रवर्तन/एफ़एसएसएआई.—अधिसूचना संख्यांक फ़ा. सं. 15(1)2016/स्कूली बच्चे विनियम/प्रवर्तन/एफ़एसएसएआई तारीख 4 सितंबर, 2020 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, खाद्य सुरक्षा और मानक (स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित खाद्य और संतुलित आहार) विनियम, 2020 के पृष्ठ संख्या 1-9 में प्रकाशित भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना में-

1. पृष्ठ 2, पंक्ति 1 व 2 में "विनियम 5 के उप विनियम (1) और विनियम 3 के उपविनियम (3)" के स्थान पर "विनियम 3 के उप विनियम (5) और विनियम 5 के उपविनियम (1)" पढ़ा जाएगा।
2. पृष्ठ 2, पंक्ति 34 में "स्कूल अहाता में स्कूल आहार स्वयं बेचने" के स्थान पर "(1) स्कूल अहाता में स्कूल आहार स्वयं बेचने" पढ़ा जाएगा।
3. पृष्ठ 2, पंक्ति 37 में "(1) स्कूल अहाता" के स्थान पर "(2) स्कूल अहाता" पढ़ा जाएगा।
4. पृष्ठ 2, पंक्ति 41 में "(2) स्कूली शिक्षा" के स्थान पर "(3) स्कूली शिक्षा" पढ़ा जाएगा।
5. पृष्ठ 2, पंक्ति 45 में "(3) स्कूल अहाता में" के स्थान पर "(4) स्कूल अहाता में" पढ़ा जाएगा।
6. पृष्ठ 3, पंक्ति 3 में "(4) स्कूल प्राधिकरण" के स्थान पर "(5) स्कूल प्राधिकरण" पढ़ा जाएगा।
7. पृष्ठ 3, पंक्ति 6 में "(5) स्कूल प्राधिकरण" के स्थान पर "(6) स्कूल प्राधिकरण" पढ़ा जाएगा।

8. पृष्ठ 3, पंक्ति 10 में “(6) स्कूल प्राधिकरण” के स्थान पर “(7) स्कूल प्राधिकरण” पढ़ा जाएगा।
9. पृष्ठ 3, पंक्ति 28 में “(1) स्कूल परिसर अथवा अहाता में कोई व्यक्ति” के स्थान पर “(1) स्कूल परिसर में अथवा स्कूल के गेट से किसी भी दिशा में 50 मीटर के दायरे में स्कूली बच्चों को कोई व्यक्ति” पढ़ा जाएगा।

अरुण सिंघल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./401/2020-21]

**MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**  
**(Food Safety and Standards Authority of India)**

**CORRIGENDA**

New Delhi, the 3rd December, 2020

**F. No. 15(1) 2016/School Children Regulation/Enf/FSSAI.**—In the notification of Food Safety and Standards Authority of India, published in the Gazette of India, at pages 1-9 of Food Safety and Standards (Safe food and balanced diets for children in school) Regulations, 2020, Extraordinary, Part III, Section 4, *vide* notification number F. No. 15 (1) 2016/School Children Regulation/Enf/FSSAI, dated the 4<sup>th</sup> September, 2020,—

1. Page 6, line 22, *for* “twenty-two months” *read* “twenty-four months”

ARUN SINGHAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./401/2020-21]